RE: DISCUSSION ON NANDIGRAM

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): उपसभापति महोदय।....(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: एक मिनट।....(**व्यवधान**)....गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, आप जरा सुन तो लीजिए। ....(**व्यवधान**)....

श्री सुरेश पचौरी: उपसभापति जी, जो भी नियमों, प्रक्रियाओं में व्यवस्था है, उसके अनुसार सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। ...(**व्यवधान**)... इसके लिए किस नियम के तहत और किस शब्दावली में चर्चा हो, सभापति महोदय के साथ बैठकर यह नियमानुसार व परंपरानुसार निर्णय ले लिया जाए। ...(***व्यवधान***)... सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है। ...(**व्यवधान**)... हम चाहते हैं कि यह सदन विधिवत चले, हर विषय पर चर्चा हो, प्रश्नकाल भी चले और सदन में सभी विषयों पर चर्चा हो। ...(**व्यवधान**)... नियम और शब्दावली तय कर ली जाए। ...(**व्यवधान**)... मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करुंगा कि सदन में इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न किया जाए, जो किया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 11.00 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at five minutes past twelve of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 21st, November, 2007.

GM@IPMRND—2526RS—14-08-2008.